Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY MAINS ANSWER WRITING – 1 MAY

Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. (250 words)

Recently, amid escalating tensions with Haryana over water sharing, all parties in Punjab came together recently to reject the Bhakra Beas Management Boards's (BBMB's) decision to release extra water to Haryana. India's federal framework empowers states but also necessitates conflict resolution mechanisms, especially for recurring inter-state water disputes. These disputes, involving more than just resource sharing, are entangled with social, political, economic, and environmental factors. As their scale and complexity increase, the adequacy of constitutional provisions to handle them remains a subject of debate.

Constitutional Provisions

- **State List Entry 17** authorizes states to manage water-related matters such as irrigation and drainage.
- **Union List Entry 56** permits the Central Government to regulate and develop inter-state rivers in the national interest.
- **Article 262** enables Parliament to adjudicate water disputes and bars the jurisdiction of courts, including the Supreme Court, in such matters.

Legislative Measures by Parliament

- **River Boards Act, 1956**: Meant for establishing boards for managing inter-state rivers; however, none have been constituted to date.
- **Inter-State Water Disputes Act, 1956**: Seeks resolution through inter-state consultation; tribunals are set up if negotiations fail.

Key Challenges in Implementation

- **Prolonged Delays:** Cases like Godavari and Cauvery highlight significant procedural delays.
- **Lack of Technical Diversity:** Tribunals are judiciary-heavy, lacking inputs from environmental and technical experts.
- **Unclear Procedures:** Ambiguities in procedural norms hinder transparency.
- **Inconsistent Data:** Lack of standardised water data complicates decision-making.
- **Political Interference:** Disputes are often politicised, turning into tools for electoral leverage.

Suggested Reforms

- **Empower Interstate Council:** Use Article 263 to handle disputes through coordinated efforts.
- **Integrated Water Authority:** Create a centralised agency managing both surface and groundwater.
- **Tribunal Reforms:** Ensure quick and enforceable rulings with multidisciplinary expertise.
- **Unified Water Data System:** Establish a central platform for accurate and standardised water-related data.

The frequent emergence of inter-state water disputes and delays in resolving them underscore shortcomings in both the structural and procedural aspects of existing constitutional mechanisms. This calls for urgent reforms to enable timely settlements while safeguarding the interests and entitlements of individual states.

अन्तर- राज्य जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को सम्बोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है ? विवेचना कीजिए । (250 शब्द)

हाल ही में , जल बंटवारे को लेकर हरियाणा के साथ बढ़ते तनाव के मध्य, पंजाब में सभी दलों ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले को खारिज कर दिया। भारत का संघीय ढांचा राज्यों को सशक्त बनाता है , परन्तु संघर्ष समाधान तंत्र की भी आवश्यकता होती है, खासकर बार-बार होने वाले अंतर-राज्यीय जल विवादों हेतु। ये विवाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से उलझे हुए हैं। जैसे-जैसे उनकी जटिलता बढ़ती है, उन्हें संभालने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्तता बहस का विषय बनी रहती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य सूची प्रविष्टि 17** राज्यों को सिंचाई और जल निकासी जैसे जल-संबंधी मामलों का प्रबंधन करने हेतु अधिकृत करती है।
- **संघ सूची प्रविष्टि 56,** केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय हित में अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित और विकसित करने की अनुमति देती है।
- **अनुच्छेद 262** संसद को जल विवादों पर निर्णयन का अधिकार देता है तथा ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है।

संसद द्वारा वैधानिक उपाय

- **नदी बोर्ड अधिनियम , 1956**: इसका उद्देश्य अंतर-राज्यीय नदियों के प्रबंधन हेतु बोर्ड स्थापित करना था; हालाँकि, आज तक कोई भी बोर्ड गठित नहीं किया गया है।
- **अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम , 1956**: अंतर-राज्यीय परामर्श के माध्यम से समाधान की कोशिश की जाती है; वार्ता विफल होने पर न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है।

कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

- **लंबे समय तक देरी :** गोदावरी और कावेरी जैसे मामले महत्वपूर्ण प्रक्रियागत विलम्ब को उजागर करते हैं।
- **तकनीकी विविधता का अभाव :** न्यायाधिकरणों पर न्यायपालिका का बहुत अधिक दबाव है तथा पर्यावरण एवं तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श का अभाव है।
- **अस्पष्ट प्रक्रियाएं:** प्रक्रियागत मानदंडों में अस्पष्टता पारदर्शिता में बाधा डालती है।
- **असंगत डेटा:** मानकीकृत जल आंकड़ों का अभाव निर्णयन को जटिल बनाता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप :** विवादों का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है और उन्हें चुनावी लाभ उठाने का हथियार बना दिया जाता है।

सुझाए गए सुधार

- **अंतरराज्यीय परिषद को सशक्त बनाएं :** समन्वित प्रयासों के माध्यम से विवादों को निपटाने हेतु अनुच्छेद 263 का उपयोग करें।
- **एकीकृत जल प्राधिकरण :** सतही और भूजल दोनों का प्रबंधन करने वाली एक केंद्रीकृत एजेंसी बनाएं।
- **न्यायाधिकरण सुधार :** बहुविषयक विशेषज्ञता के साथ त्वरित और प्रवर्तनीय निर्णय सुनिश्चित करना।
- **एकीकृत जल डेटा सिस्टम :** सटीक तथा मानकीकृत जल-संबंधी आंकड़ों हेतु एक केंद्रीय मंच स्थापित करना।

अंतर-राज्यीय जल विवादों का बार-बार उभरना और उन्हें हल करने में देरी मौजूदा संवैधानिक तंत्र के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं में कमियों को रेखांकित करती है। इसके लिए समयोचित समाधान करने और राज्यों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने हेतु तत्काल सुधार की आवश्यकता है।